न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2796/2003/भरतपुर

1. रामभरोसी पुत्र मजोरी जाति जाटव निवासी बांसी खुर्द तहसील व जिला भरतपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. बल्लभ
2. रघुवीर
3. विश्राम पुत्रगण सुम्मेरा
   समस्त जाति जाटव निवासी चितोकरी तहसील व जिला भरतपुर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री धूकल राम कसवां, सदस्य

उपस्थित–
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 10.07.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–05–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत ग्राम साबिक खसरा नम्बर 20 रकबा 25बीघा हाल खसरा नम्बर 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 29/225 रकबा 0.41 बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 20 का रकबा 25बीघा था, जिसके अनुसार कायम नवीन खसरा नम्बरान का रकबा 4.00 हैक्टयर होना चाहिए था किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने नवीन खसरा नम्बरान का रकबा 94 एयर कम दर्ज किया तथा प्रतिवादी के साबिक खसरा नम्बर 08 रकबा 20बीघा 11बिस्वा एवं साबिक खसरा 28/1 रकबा 04बीघा 09बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 25बीघा से कायम नवीन खसरा नम्बर खसरा नम्बर 109 लगायत 116, 109 कुल किता 10 कुल रकबा 4.94 हैक्टयर में 0.94हेक्टयर अधिक दर्ज कर दी। अतः राजस्व रिकार्ड में कमी रकबे की पूर्ति की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 07 विवाद्यक की विरचना करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा वादी प्रत्यर्थीग्ण की ओर से प्रस्तुत वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–05–2002 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03–05–2003 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी कारण के वादी प्रत्यर्थीगण की अपील को स्वीकार कर प्रकरण पुनः विारण न्ऱायालय को प्रतिप्रेषित करने में कानूनी भूल की है क्योंकि अपीलीय न्यायालय स्वयं ही गुणवगुण पर निर्णय पारित करने में सक्षम थी, इसके उपरान्त भी अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर किसी प्रकार की कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये बिना प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर आदेश 41 नियम 31 जाप्ता दीवानी में प्रावधित प्रावधानों की अनदेखी की है। उनका कथन है कि वादी प्रत्यथीगण की आराजी बांसीखुर्द में स्थित नहीं होकर रूध बांसीखुर्द में स्थित है तथा भू–प्रबन्ध विभाग ने मौके पर कब्जे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया है एवं वादी प्रत्यर्थीगण की आराजी प्रतिवादी अपीलार्थी की आराजी के पास नहीं है तथा वादीगण व प्रतिवादी की आराजी के बीच बीसों काश्तकारों की आराजी स्थित है तथा वादीगण के साबिक भू–भाग का कोई भी हिस्सा भू–प्रबन्ध विभाग ने प्रतिवादी की आराजी में नहीं मिलाया है। उनका कथन है कि वादीगण ने इस तथ्य को साबित नहीं किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 20 से हाल कुल कितने खसरा नम्बर बनाये गये, इस तथ्य की पुष्टि में वादीगण ने तुलनात्मक क्षेत्रफल पेश नहीं किया। उनका कथन है कि वादीगण ने इस तथ्य को भी प्रमाणित नहीं कराया कि किस खसरा नम्बर का रकबा कम किया जाकर किस खसरा नम्बर में रकबा बढाया गया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत

वाद को विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2013 डीएनजे ।।। पेज 1415, 2011 डीएनजे एससी पेज 1035, 2013 डीएनजे एससी पेज 319, 2007 आरआरटी । पेज 180, 2009 आरआरडी पेज 83, 2008 आरबीजे पेज 668, 2003 एआईआर एससी पेज 160, 1988 आरआरडी पेज 143, 1990 आरआरडी पेज 425, 2003 आरआरडी पेज 80, 2004 आरआरटी ।। पेज 1086, 1995 आरआरडी पेज 760, 1993 आरआरडी पेज 246 एवं 2003 आरआरडी पेज 423 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 20 का रकबा 25बीघा था, जिसके हाल खसरा नम्बर 29, 34 से 39 एवं 29/225 बने है, जिसका रकबा 4.00 हैक्टयर होना चाहिए था किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने नवीन खसरा नम्बरान का रकबा 94 एयर कम दर्ज किया। उनका कथन है कि अपीलार्थी प्रतिवादी के साबिक खसरा नम्बर 08 रकबा 20बीघा 11बिस्वा एवं साबिक खसरा 28/1 रकबा 04बीघा 09बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 25बीघा था, जिसके नवीन खसरा नम्बर खसरा नम्बर 109 लगायत 116, 109 कुल किता 10 कुल रकबा 4.94 हैक्टयर कायम कर दिये, जिसमें साबिक खसरा नम्बर के रकबे अनुसार 0.94हेक्टयर अधिक भूमि दर्ज कर दी। उनका कथन है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने वादपत्र में यह भी अंकित किया कि वादीगण का कोई रकबा प्रतिवादी के कब्जे में नहीं है तथा मौके पर उनका रकबा पूरा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में रकबा

कम दर्ज कर दिया। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में वादीगण प्रत्यर्थीगण का रकबा 94एयर कम होना तो माना किन्तु तुलनात्मक क्षेत्रफल के अभाव में उक्त बिन्दू को प्रमाणित नही माना, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या–5 के निर्णय में प्रतिवादी अपीलार्थी का साबिक आराजी ने बने नये खसरा नम्बरान का रकबा 94एयर अधिक होना साबित होना मानते हुए उक्त तनकी को वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत ग्राम साबिक खसरा नम्बर 20 रकबा 25बीघा हाल खसरा नम्बर 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 29/225 रकबा 0.41 बाबत् वाद प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 20 का रकबा 25बीघा था, जिसके अनुसार कायम नवीन खसरा नम्बरान का रकबा 4.00 हैक्टयर होना चाहिए था किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग

ने नवीन खसरा नम्बरान का रकबा 94 एयर कम दर्ज किया तथा प्रतिवादी के साबिक खसरा नम्बर 08 रकबा 20बीघा 11बिस्वा एवं साबिक खसरा 28/1 रकबा 04बीघा 09बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 25बीघा से कायम नवीन खसरा नम्बर खसरा नम्बर 109 लगायत 116, 109 कुल किता 10 कुल रकबा 4.94 हैक्टयर में 0.94हेक्टयर अधिक दर्ज कर दी। वादपत्र में यह भी अंकित किया कि वादीगण का कोई रकबा प्रतिवादी के कब्जे में नहीं है। अतः राजस्व रिकार्ड में कमी रकबे की पूर्ति की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 07 विवाद्यक की विरचना करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा वादी प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–05–2002 से खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या–5 के निर्णय में प्रतिवादी अपीलार्थी का साबिक आराजी ने बने नये खसरा नम्बरान का रकबा 94एयर अधिक होना साबित होना मानते हुए उक्त तनकी को वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया। इसी प्रकार वादीगण प्रत्यर्थीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 20 रकबा 25बीघा से कायम नवीन खसरा नम्बरान का रकबा 04हैक्टयर कायम किया जाना चाहिए था किन्तु रिकार्ड में 3.06हैक्टयर रकबा अंकित किया गया। इस प्रकार वादीगण प्रत्यर्थीगण की भूमि का रकबा 94एयर रिकार्ड में कम अंकित होना प्रमाणित है तथा वादीगण ने अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौके पर वादीगण का रकबा पूरा है और चारों तरफ पुरानी मेडबन्दी हो रखी है। उक्त से स्पष्ट है कि पक्षकारान के साबिक खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर कायम करते समय भू–प्रबन्ध विभाग अथवा राजस्व कर्मचारियों द्वारा केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में रकबे को कम एवं ज्यादा

किया गया है, जिसकी दुरूस्ती वादीगण प्रत्यर्थीगण वादपत्र के माध्यम से चाहते है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय 03-05-2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य